न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 75/2018

श्री योगेश कुमार मीणा पुत्र श्री बोथ लाल मीणा, जाति मीणा, निवासी आदर्श नगर रेल्वे स्टेशन के सामने, पंचवटी कॉलोनी, अजमेर

.....*अपीलान्टस*

बनाम

1– श्री उगमा
2– श्री पांचू
पुत्रगण श्री भज्जा
3– श्री छीतर पुत्र श्री लाडू
4– श्री बाबू पुत्र श्री भोमा
5– श्री चेतन पुत्र श्री घीसू
6– श्री रामा पुत्र श्री पूना
7– श्री मंगला पुत्र श्री भोमा
8– श्री सुखदेव पुत्र श्री भज्जा
9– श्री मदन पुत्र श्री छगन

समस्त जाति रावत, निवासीगण ग्राम ढण्ड की नाडी, मसूदा तहसील मसूदा, जिला अजमेर।

.....**रेस्पोन्डेन्ट्स**

अन्तर्गत धारा 225 राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955

———

उपस्थित :– 1. श्री प्रदीप यादव, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री मदनसिंह रावत, वकील रेस्पोन्डेन्ट्स की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक–10.05.2022

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि श्री योगेश कुमार मीणा पुत्र श्री बोथ लाल मीणा, जाति मीणा, निवासी आदर्श नगर रेल्वे स्टेशन के सामने, पंचवटी कॉलोनी, अजमेर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार मसूदा के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की ग्राम मसूदा स्थित क्रयशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1343/1 रकबा 06–17–10 किस्म बारानी पर सर्व श्री उगमा, पांचू पुत्रगण श्री भज्जा, छीतर पुत्र श्री लाडू, बाबू पुत्र श्री भोमा, चेतन पुत्र श्री घीसू, रामा पुत्र श्री पूना, मंगला पुत्र श्री भोमा, सुखदेव पुत्र श्री भज्जा व मदन पुत्र श्री छगन समस्त जाति रावत, निवासीगण ग्राम ढण्ड की नाडी, मसूदा तहसील मसूदा, जिला अजमेर द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कर जबरन कब्जा कर लिया गया है। अतः अप्रार्थीगण को बेदखल करते हुए कब्जा हटवा कर भूमि का कब्जा प्रार्थी को दिलाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार मसूदा द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 01/2018 पंजीकृत कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 29.06.2018 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

अधिनियम, 1955 खारिज किया गया। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 29.06.2018 से अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर अप्रार्थीगण के नोटिस जारी किये गए। रेस्पोडेन्टस जरिये वकील उपस्थित हुए तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। मियाद के बिन्दू पर कोई एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्टस ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी पूर्व में खातेदार श्री कालू पुत्र श्री गंगाराम जाति भील की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि थी। उक्त खातेदार से अपीलान्ट द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 29.12.2016 से आराजी क्रय की गई जिसका कब्जा अपीलान्ट को सुपुर्द कर दिया गया। तत्पश्चात अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण संख्या 2996 दिनांक 20.04.2017 को स्वीकृत हुआ एवं आराजी आज दिवस तक अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। अपीलान्ट की अनुपस्थिति में विवादित आराजी पर रेस्पो0 द्वारा जबरन कब्जा कर लेने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विधिक कार्यवाही की गई किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 को नाजायज लाभ पहुंचाने की नीयत से गलत व त्रुटिपूर्ण आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेन्ट्स से मिलीभगती कर पहले आराजी पर अवैध कब्जा करवाया तथा बाद में पटवारी हल्का से एकतरफा मौका रिपोर्ट प्राप्त कर रेस्पो0 का पुराना कब्जा बताते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जबकि रेस्पो0 द्वारा किये जा रहे निर्माण को रूकवाने के लिये प्रार्थना पत्र के साथ आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश किया गया जिस पर रेस्पो0 द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना आदेश पारित करे अनिर्णित ही छोड़ दिया गया। विधि के सुस्थापित सिद्धांत अनुसार गुणावगुण पर निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध आवेदनों का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अपने कथन के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान आर0बी0जे0 (10) 2003 पेज 55 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया।

उन्होने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का को केवल विवादित आराजी पर किन व्यक्तियों का कब्जा है बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे किन्तु पटवारी हल्का ने अपीलान्ट को बिना किसी भी प्रकार का नोटिस/सूचना दिये अपने अधिकार क्षेत्र का दुरूपयोग करते हुए जानबूझकर मनमर्जी से वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोन्डेन्ट्स का कई वर्षों पुराना कब्जा होने की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी तथा मनमर्जी से सार्वजनिक धर्मनाडी, ग्रेवल सड़क व सार्वजनिक पथवारी के तथ्य अंकित कर दिये जबकि मौके पर ऐसा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस एकतरफा रिपोर्ट को आधार पर मानते हुए ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसी एकतरफा मौका रिपोर्ट की कानूनन कोई मान्यता व अहमियत नहीं होती तथा साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता। अपने कथन के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान डब्ल्यू0एल0सी0 1998 राजस्थान पेज 39, आर0बी0जे0 1998 पेज 139 व आर0बी0जे0 2003 पेज 55 पर माननीय उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित किया। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर सार्वजनिक धर्मनाडी, ग्रेवल सड़क व सार्वजनिक पथवारी आदि नहीं है बल्कि अपीलान्ट की खातेदारी कृषि भूमि है जिस पर रेस्पो0 द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। विवादित आराजी पर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

रेस्पो0 को किसी भी प्रकार का कोई लोकस नहीं है एवं न ही आराजी पर कब्जा बनाये रखने का कोई हक व अधिकार है। रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा ना तो स्वयं के पुराने कब्जे को साबित किया गया है एवं ना ही आराजी पर काबिज बने रहने का कोई लोकस ही बता पाये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की भूमि पर काबिज अन्य व्यक्तियों को बेदखल करने की समरी प्रक्रिया को ठेंगा दिखाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 को अनुचित लाभ पहुंचाने की नीयत से मौका रिपोर्ट के आधार पर विवादित आराजी पर अन्य व्यक्तियों द्वारा कच्चा निर्माण करना बताकर उनको पक्षकार नहीं बनाये जाने को आधार बनाते हुए त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया गया है। जबकि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पो0 के अलावा अन्य किसी का कब्जा नहीं है एवं इनके द्वारा अन्य व्यक्तियों का भी अवैध कब्जा करवाया जा रहा है। अपीलान्ट द्वारा उनकी खातेदारी आराजी का सीमाज्ञान करवाने हेतु दिनांक 18.05.2017 व 21.02.2018 को आवेदन किया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जानबूझकर इन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। वकील अपीलान्ट ने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में यह तथ्य अंकित करना कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर कब्जा होने सम्बन्धी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसके कथनों की पुष्टि होती हो, सरासर गलत, त्रुटिपूर्ण व अवैध है, जबकि अपीलान्ट द्वारा जमाबन्दी, नामान्तरकरण व पंजीबद्ध विक्रय पत्रों की प्रतियां पेश की गई थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इनको जानबूझकर अनदेखा कर अपीलान्ट की बहस में तो लिख दिया परन्तु उन पर कोई विवेचना नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दायित्व व कर्त्तव्य का सही प्रकार से निर्वहन नहीं कर नीहित शक्तियों का दुरूपयोग कर केवल कयास के आधार पर आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बहस में उठाये गये किसी भी बिन्दु का निस्तारण नहीं किया है जबकि अपीलान्ट ने आवेदन स्वीकार करने के कई कारण बताये थे। इसलिये विचाराधीन अपील में भी उक्त सभी आधारों को पढा जावे एवं इस अपील के आधार वही है जो अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाये थे। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कानूनी नजीरों पर ध्यान नहीं दिया गया, ना अवलोकन किया एवं ना ही निर्णय में उन नजीरों को लिखा गया। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि कानूनी नजीरें प्रकरण में क्यों चस्पा होती है व क्यों नहीं जबकि यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी तथ्य/बिन्दु की ओर ध्यान नहीं देकर एवं किसी प्रकार का विवेचन नहीं कर "नॉन स्पीकिंग आदेश" पारित किया गया है जो आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। जानबूझकर मुख्य आधारों को छुए बिना और उन पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी या फाईंडिंग दिये बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं कर आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है। अपने उक्त कथनों के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान एस0सी0सी0 2003 वॉल्यूम 4 पेज 364, एस0सी0सी0 2003 वॉल्यूम 11 पेज 519, ए0आई0आर0 2008 पेज 2026, डी0एन0जे0 2009 वॉल्यूम 1 पेज 53 व 191 पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित किया जिसमें स्पष्ट निर्णय पारित किये गये हैं कि "Dismissal of Application in summary manner . cryptic & non – reasoned order. Several issues raised in the Application, not examined anyone. This is not the way to dispose of the application. Absence of reason, show non – application of mind. Reason is the Heart Beat of every conclusion, without the same, it becomes lifeless." अन्त में उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश निरस्त करते हुए विवादित आराजी से रेस्पोन्डेन्ट्स को बेदखल कर अपीलान्ट को कब्जा दिलाया जावे।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील रेस्पोन्डेन्ट्स का कथन है कि पूर्व में भू–संशोधन में दी गई खातेदारी को राज्य सरकार द्वारा निरस्त कर दिये जाने के कारण राजस्व कैम्प मसूदा में दिनांक 18.06.1984 को भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा लगभग 65 काश्तकारों को जमीन का आवंटन किया गया था किन्तु उस दिन हजारी वल्द धन्ना भील को ग्राम मसूदा में कोई जमीन आवंटित ही नहीं की गई। राजस्व अधिकारियों ने मिलीभगत से हजारी वल्द धन्ना भील को बिना आवंटन किये ही ग्राम मसूदा की आराजी खसरा संख्या 1343/1 रकबा 06–17–10 बीघा की गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 703 स्वीकृत कर दिया एवं तत्पश्चात खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिया गया। राजस्व अधिकारी द्वारा विवादित आराजी की न तो कब्जे काश्त की रिपोर्ट ली गई एवं न ही मौका देखा गया जबकि हजारी वल्द धन्ना भील ग्राम मसूदा में निवास ही नहीं करता था। उक्त व्यक्ति की मृत्यु पश्चात उसके वारिसान को यह जानकारी होते ही उक्त आराजी का दिनांक 17.01.2007 को कागजी बयनामा खेमराज पुत्र घीसा भील के पक्ष में कर दिया। इसके उपरान्त खेमराज पुत्र घीसा भील द्वारा कालू वल्द गंगाराम भील को बेचाननामा दिनांक 03.04.2010 से आराजी बेचान कर दी गई। तदुपरान्त कालू वल्द गंगाराम भील ने प्रश्नगत आराजी दिनांक 29.12.2016 को अपीलान्ट को बेचान कर दी। आवंटी द्वारा फर्जी आवंटन/नियमन की किसी तरह की कोई पालना नहीं की जिससे प्रतीत होता है कि समस्त कार्यवाही षडयंत्रपूर्वक की गई है। उक्त क्रेतागण व अपीलान्ट विवादित आराजी के कागजी मालिक बने हुए है, वे न तो कभी मौके पर गये एवं न ही उन्हे मौके पर कब्जा संभलाया गया। आराजी पर न तो बेचानकर्ता का कब्जा था एवं अपीलान्ट ने बिना मौका देखे ही केवल कागजी बयनामा करवा लिया। अपीलान्ट द्वारा कब्जे के तथ्यों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के साक्ष्य व दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत आराजी में मौके पर गांव के ही अन्य व्यक्तियों का भी कब्जा है किन्तु प्रकरण में उन्हे पक्षकार नहीं बनाया जाकर द्वेषतावश रेस्पोन्डेन्ट्स को ही पक्षकार बनाया गया है। उन्होने आगे कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोन्डेन्ट्स का परिवार लगभग 100 वर्ष पूर्व से बसा हुआ होकर पक्के मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहे हैं व विद्युत कनेक्शन ले रखे हैं तथा जानवरों के बाडे बने हुए हैं एवं जानवर बांधने, चारा संग्रहण व रोड़ी डालने के काम में ली जा रही है। मौके पर सार्वजनिक धर्मनाडी, सार्वजनिक पथवारी, ग्रेवल सड़क व मंदिर आदि बने हुए हैं एवं अकाल राहत कार्य के तहत 50 वर्ष पूर्व सड़क बनी हुई है तथा नरेगा के अन्तर्गत लगभग 10–15 वर्षों से कार्य चल रहा है। जानवरों को पानी पिलाने के लिये सरकार द्वारा पानी की टंकी बनाई हुई है एवं ग्रामवासियों द्वारा बीसलपुर परियोजना से नल कनेक्शन लिये हुए हैं जिन्हे उपयोग में लिया जा रहा है। वादग्रस्त आराजी पर पूरा गांव बसा हुआ है एवं आबादी भूमि है तथा मौके पर आबादी के रूप में काम में ली जा रही है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी आबादी भूमि होने से काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अपने उक्त कथनों के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान आर0बी0जे0 (19) 2012 पेज 30 पर माननीय उच्च न्यायालय एवं आर0आर0जे0 (4) 1997 पेज 40 व आर0आर0डी0 1995 पेज 141 पर माननीय राजस्व मण्डल राज0, अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित किया। अन्त में उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व कैम्प मसूदा में दिनांक 18.06.1984 को भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि आवंटन काश्तकारों/आवंटियों की सूचि अनुसार हजारी वल्द धन्ना भील को ग्राम मसूदा में

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

कोई जमीन आवंटित नहीं होना पाई गई है। वकील अपीलान्ट द्वारा भी ऐसे कोई दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे भूमि का आवंटन व कब्जा काश्त होना सिद्ध होता हो। इससे यह प्रतीत होता है कि आवंटी/बेचानकर्ताओं का विवादित आराजी में मौके पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। उक्त आवंटी एवं तत्पश्चात सम्पादित बयनामे केवल कागजी होना प्रतीत होते हैं एवं अपीलान्ट द्वारा भी बिना मौका देखे ही केवल कागजी बयनामा सम्पादित करवाया गया है। वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोन्डेन्ट्स व अन्य ग्रामवासी कई वर्षों से पक्के मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहे हैं व विद्युत कनेक्शन ले रखे हैं। मौके पर जानवरों के बाडे बने हुए हैं एवं सार्वजनिक धर्मनाडी, सार्वजनिक पथवारी, ग्रेवल सड़क व मंदिर आदि बने हुए हैं। जानवरों को पानी पिलाने के लिये पानी की टंकी बनी हुई है एवं बीसलपुर परियोजना से ग्रामवासियों के नल कनेक्शन किये हुए हैं। वादग्रस्त आराजी में मौके पर आबादी बसी हुई है तथा मौके पर आबादी के रूप में काम में ली जा रही है, परन्तु साथ ही अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय किये जाने व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रार्थी का धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रार्थना पत्र अनिर्णित रखे जाने के तथ्य भी प्रकट हुए हैं। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश दिनांक 29.06.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार मसूदा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे रेकॉर्ड व दस्तावेजों के परिपेक्ष्य में परीक्षण व अध्ययन कर विवादित आराजी का पुनः मौका निरीक्षण कर मौका स्थिति का आंकलन करते हुए उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

आदेश आज दिनांक 10.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर, अजमेर
अजमेर